न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 07/2023 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023/291**
दायर दिनांक :– 11.01.2023 **निर्णय दिनांक :– 09.10.2024**

1. सरपंच ग्राम पंचायत श्रीसुरपुरा पंचायत समिति बाप तहसील बाप जिला फलोदी
–प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी
–अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आश्य से पेश किया है कि खसरा नम्बर 402/3 रकबा 4.0469 हैक्टेयर गैर मुमकिन आबादी भूमि ग्राम श्रीसुरपुरा पटवार क्षेत्र श्रीसुरपुरा तहसील बाप में स्थित है। जमाबंदी सम्वत 2075–2078 व नक्शा ट्रेस संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। खसरा नम्बर 402/3 रकबा 4.0469 हैक्टेयर भूमि गैर मुमकिन आबादी ग्राम पंचायत सुरपुरा के राजस्व ग्राम श्रीरामपुरा में स्थित है और उक्त आबादी भूमि की तरमीम पटवारी हल्का द्वारा अपनी मनमर्जी से और वर्तमान में बसे हुवे आबादी क्षेत्र से दूर रेतीले धोरे पर कर दी है जो तरमीम सरासर गलत है। वर्तमान नक्शा में भी गलत तरमीम हो रखी है जबकि मौके पर आबादी भूमि प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार है और नजरी नक्शा अनुसार ही मौके पर आबादी क्षेत्र है और रहवासी घर वगैरा बने हुवे है। वर्तमान में जो तरमीम हो रखी है वह तरमीम रेत के बहुत बड़े टिब्बे पर हो रखी है वर्तमान तरमीम अनुसार आबादी नहीं बस सकती है क्योकि रेत के टिब्बे पर आबादी का विस्तार बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है। इसलिये ग्राम श्रीरामपुरा पटवार क्षेत्र श्रीसुरपुरा तहसील बाप के खसरा नम्बर 402/3 रकबा 4.0469 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान नक्शा ट्रैस में की गई तरमीम को निरस्त किया जाकर संलग्न नजरी नक्शा अनुसार एवं आबादी [illegible] नवीन तरमीम किया जाना आवश्यक है। जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर रिपोर्ट [illegible] की जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार बाप ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पेश कर कथन किया कि खसरा नम्बर 402/3 रकबा 4.0469 हैक्टेयर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.11.06 16:16:37 IST
Reason: SelfAttested

09.10.24
उप खण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

किस्म गै.मु. आबादी खाता संख्या 89 जमाबंदी सम्वत 2075–78 ग्राम श्रीरामपुरा में स्थित है। खसरा नम्बर 402/3 रकबा 4.0469 हैक्टेयर भूमि की तरमीम ग्राम श्रीरामपुरा के नामान्तरकरण संख्या 58 के पुश्त पर दर्ज नजरी नक्शा अनुसार की गई है। नामान्तरकरण संख्या 58 के पुश्त पर दर्ज नजरी नक्शा की भूमि रेतीली व बड़े टीले पर स्थित है। वहां पर आबादी विस्तार सम्भव नहीं है।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सुनी गयी। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। ग्राम श्रीरामपुरा पटवार हल्का श्रीसुरपुरा तहसील बाप के खसरा नम्बर 402/3 रकबा 4.0469 हैक्टेयर किस्म गै.मु.आबादी खाता संख्या 89 जमाबंदी सम्वत 2075–78 में दर्ज है। खसरा नम्बर 402/3 रकबा 4.0469 हैक्टेयर गै.मु.आबादी की तरमीम नामान्तरकरण संख्या 58 की पुश्त पर दर्ज नजरी नक्शा अनुसार की गई है। नामान्तरकरण संख्या 58 का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि की तरमीम आवंटन आदेश से की गई है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार किया जाता है।

<u>क्रियात्मक आदेश</u>

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.10.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

09.10.24

(सुखाराम पिण्डेल, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

उप खण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

उप जिला मजिस्ट्रेट एवं उप खण्ड अधिकारी
बाप, जिला फलोदी (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.11.06 16:16:37 IST
Reason: SelfAttested